

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रा०वि० वाद सं०-10 / 2018-19

बीबी कुटिया बनाम् शेख इसाक वगै०

24-02-2023


—: आदेश :-

वर्तमान वाद आवेदिका बीबी कुटिया, पे०-शेख रहमत, साकिन-धनौरा, थाना-रसुलपुर, जिला-भागलपुर द्वारा समर्पित आवेदन, जो मौजा-बरारी नं०-42, जमाबंदी नं०-17, दाग नं०-95 अन्तर्गत भूमि को लेकर विपक्षी शेख इसाक व शेख मुस्ताक, दोनों पे०-शेख कुदरत साकिन-बरारी, थाना-मेहरमा के बीच हक से संबंधित है, के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ की गई। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।


उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक-890/रा०, दिनांक-26.12.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त पाया कि प्रासंगिक भूमि विवाद जमाबंदी रैयत के वंशजों में आपसी बँटवारा से संबंधित है, जिसका निस्तारण सक्षम न्यायालय से संभव है।

अतः आवेदिका के आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


24.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


24.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Subhashchandra
Wale
17/04/23